न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 84/2020
CIS No. :– TS/84/2020
CNR No. :– BRWC22-000128-2020

दुर्गा साह बनाम् सुगंधी देवी एवं अन्य

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
17.12.2021	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 की ओर से वादी का प्रार्थना पत्र दिनांक–24.03.2021 आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के विरूद्ध प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसको अभिलेख पर रखा जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 17.12.2021 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 प्रस्तुत वाद में दिनांक 20.02.2021 को ही उपस्थित हो गये परन्तु इनके द्वारा अभी तक बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। जिससे अग्रिम कार्यवाही बाधित हो रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित करते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित करने की याचना की गयी। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद में प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 दिनांक 20.02.2021 को ही अभिलेख पर उपस्थित आ चुके हैं परन्तु इनके द्वारा विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 द्वारा बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु आज स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 द्वारा विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर बयान तहरीरी दाखिल नहीं करने से वाद में अग्रेतर कार्यवाही बाधित होती रही है। अतएव न्यायाहित में प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 को विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर बयान तहरीरी दाखिल नहीं करने के कारण उनको बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया जाता है।	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

<u>लगातार</u> **17.12.2021**	तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या—1 ता 6 के विरूद्ध आज वाद में कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की जाती है। वादी को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या—7 व 8 की उपस्थिति हेतु विधिनुसार आवश्यक कार्यवाही करे। अभिलेख वास्ते संख्या—7 व 8 की उपस्थिति/आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्यायालय कक्ष—4, नरकटियागंज।	